तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडी/4102/2004/जोधपुर सरकार बनाम गोपालसिंह वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकलपीठ</u> **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं **निर्णय** **दिनांकः 01–12–2021** प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 23(2) लोक अभियाचन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू–रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 28मई, 2003 को तथ्यों के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करते हुए गोपालसिंह के विरूद्ध मांग को सही पाया था और गोपालसिंह वगैराह ने नलकूप का उपयोग करने के बावजूद भी उसका भुगान नहीं किया लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा नलकूल की जल क्षमता के आधार पर दोबारा रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही करने के आदेश दिये ओर मामले को रिमाण्ड कर दिया, जो अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नहीं था और क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः उक्त आदेश अपास्त करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध पीडीआर की कार्यवाही कराई जावे। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। विचारण न्यायालय की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अप्रार्थी गोपालसिंह, चन्दनसिंह, उम्मेदसिंह व गिरधारी सिंह पुत्रान अनोप सिंह ने अपनी कृषि भूमि में नलकूल निर्माण कराने हेतु दिनांक 25–9–1987 को राजस्थान जिला ग्रामीण विकास अधिकरण जयपुर से अनुबन्ध किया, जिसकी प्रति अभिलेख पर है और नलकूप खोदा गया और उसमें जल का दोहन भी अप्रार्थीगण द्वारा किया गया। जिला ग्रामीण विकास	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडी/4102/2004/जोधपुर सरकार बनाम गोपालसिंह वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकरण द्वारा दिनांक 26-3-2002 को जिला कलक्टर वसूली, जोधपुर को पत्र लिखा गया और गोपाल सिंह अप्रार्थीगण के विरूद्ध 59723/-रूपये बकाया होना और उनकी जमीन खसरा नम्बर 1330 व 1329 होना बताया। इस पत्र के क्रम में विपक्षी को नोटिस दिया गया और उन्होंने नलकूल का असफल बता कर उक्त कार्यवाही ड्राप करने का जवाब पेश किया लेकिन अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू-रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा अपने आदेश से उक्त मांग को सही पाया और वसूली कार्यवाही को पूर्णतयाः विधिसम्मत् पाया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के यहां अपील पेश की गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने मामला यह कहते हुए रिमाण्ड किया कि नलकूल की जल क्षमता की पुनः जांच करवाई जावे और रिपोर्ट आने पर पुनः सफल या असफल की श्रेणी में पाया जावे तो वसूली की जावे अन्यथा कार्यवाही नहीं की जावे। पत्रावली पर इस बाबत् पर्याप्त साक्ष्य है कि अप्रार्थीगण जानबुझकर पानी का उपयोग करने के बावजूद भी नलकूल को उपयोग में ले रहे है और नोटिस देने के बावजूद भी पानी कम बताते हुए नलकूल खरीदने से इन्कार कर रहे है जबकि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नलकूल निर्मित हो जाने पर अप्रार्थी को निर्धारित मूल्य पर खरीदने पर बाध्य होने की शर्त है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पानी की जांच कराये जाने की जो शर्त अधिरोपित की गयी है वह पूर्णतयाः विधि विरूद्ध है और उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि भूमि के संवधन व जल का समुचित उपयोग करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाऐं अमल में लाती है और उक्त योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही के परिणाम स्वरूप समय पर वसूली नहीं हो पाती है और जब कोई अधिकारी इस वसूली कार्यवाही को अंजाम देने का प्रयास करता है तो अनावश्यक आधारों पर मामले को कानूनी क्रिडा में उलझा करके वसूली होने की कार्यवाही को रूकवा देते है। सन् 1987 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध 59723/-रूपये की बकाया राशि थी जो आज तक वसूल नहीं हुई है जबकि राजकीय राशि की वसूली शीघ्र एवं समुचित होनी चाहिए। राज्य का पैसा हर व्यक्ति के लिए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडी/4102/2004/जोधपुर सरकार बनाम गोपालसिंह वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योजना के रूप में उपयुक्त होता है और लाभ व विकास की योजनाओं में काम आता है। अतः उक्त राशि नियमानुसार शीघ्र वसूल किये जाने योग्य है और राज कोष में जमा कराये जाने येाग्य है। अतः प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर का निर्णय दिनांक 28-1-2004 अपास्त किया जाता है और एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू-रूपान्तरण) जोधपुर का निर्णय दिनांक 28 मई, 2003 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य**	